न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2016/19

दायर दिनांक 21.07.2016

Web Copy - Not Official

वादी		प्रतिवादीगण
1. बालुराम पुत्र रामेश्वरराम उर्फ रामूराम, जाति जाट, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम्	1. भागीरथराम पुत्र रामेश्वरराम उर्फ रामूराम, 2. मुन्नी पुत्री रामेश्वरराम उर्फ रामूराम, 3. कानी पत्नि रामेश्वरराम उर्फ रामूराम, समस्त जाति जाट, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान 4. पुथ्वी सिंह पुत्र भंवर सिंह, 5. रसाल कंवर पत्नि भंवर सिंह, जाति राजपुत, निवासी मौलासर 6. मूली पत्नि खेमाराम, 7. विक्रम सिंह पुत्र घासीराम, 8. रतनी देवी पत्नि घासीराम, 9. रामेश्वरलाल पुत्र धन्नाराम, 10. बक्षाराम पुत्र सबलाराम, समस्त जाति जाट, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना 11. श्रीमान मैनेजर स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा डीडवाना 12. श्रीमान मैनेजर सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा मौलासर 13. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत, बंटवारा,

व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

पृष्ठ संख्या 02 लगातार

Scanned by CamScanner

उपस्थित –

1. श्री हीरसिंह बलारा व रणजीत बलारा अधिवक्ता, वादी की ओर से।

–:: अंतिम डिक्री निर्णय ::–

दिनांक :– 02.06.2018

सरहद मौजा मौलासर तहसील डीडवाना के खसरा संख्या 51, 57, 77 के बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादी का वाद दिनॉक 09.06.2017 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/18/697 दिनॉक 12.04.2018 के साथ विभाजन प्रस्ताव दिनॉक 22.03.2018 पेश किया। तहसीलदार डीडवाना के प्रस्तावित विभाजन पर उभयपक्ष सहमत है तथा इसी अनुसार अंतिम डिक्री पारित करने की इस्तदुआ की गई, बंन्टवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है तथा इनके द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान सहमत है। अतः तहसीलदार डीडवाना के प्रस्तावित विभाजन को स्वीकार कर हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

–: आदेश :–

दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा मौलासर तहसील डीडवाना के आराजी खेत खसरा संख्या 51, 57, 77, 1257/57 का बाईमीटस एण्ड बाउन्डस से बंन्टवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनॉक 22.03.2018 में वर्णितानुसार भूमि में स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उतम सिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
R.A.S.
सहायक कलैक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक 02 जून 2018 को न्याय आपके द्वार केम्प मौलासर में सुनाया गया।

(उतम सिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
R.A.S.
सहायक कलैक्टर

डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2016/19** दायर दिनांक **21.07.2016**

वादी		प्रतिवादीगण
1. बालुराम पुत्र रामेश्वरराम उर्फ रामूराम, जाति जाट, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	**बनाम्**	1. भागीरथराम पुत्र रामेश्वरराम उर्फ रामूराम, 2. मुन्नी पुत्री रामेश्वरराम उर्फ रामूराम, 3. कानी पत्नि रामेश्वरराम उर्फ रामूराम, समस्त जाति जाट, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान 4. पुथ्वी सिंह पुत्र भंवर सिंह, 5. रसाल कंवर पत्नि भंवर सिंह, जाति राजपुत, निवासी मौलासर 6. मूली पत्नि खेमाराम, 7. विक्रम सिंह पुत्र घासीराम, 8. रतनी देवी पत्नि घासीराम, 9. रामेश्वरलाल पुत्र धन्नाराम, 10. बक्षाराम पुत्र सबलाराम, समस्त जाति जाट, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना 11. श्रीमान मैनेजर स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा डीडवाना 12. श्रीमान मैनेजर सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा मौलासर 13. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत, बंटवारा,

व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

पृष्ठ संख्या ......2.... लगातार

Scanned by CamScanner

—: अंतिम डिक्री निर्णय :—

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिह बलारा, रणजीत बलारा, अधिवक्ता, वादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा मौलासर पटवार क्षैत्र मौलासर भू– निरीक्षक क्षैत्र मौलासर, तहसील डीडवाना जिला नागौर में हस्व दावा अन्तिम डिक्री सादिर कर वाके सरहद मौलासर में स्थित खेत खसरा संख्या 51, 57, 77, 1251/57 का बाईमीटस एण्ड बाउन्डस से बंन्टवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनॉक 22.03.2018 में वर्णितानुसार भूमि में स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........—...........मुबलिंग............मुबलिंग...........—..............बाबत.............—..............
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....—............ आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **02.06.2018** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर	–		बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
थ्मजान			थ्मजान		

नोट :— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक –16–2015/रीडर/2018/ दिनॉक

प्रेषिति :–

तहसीलदार

डीडवाना।

विषय :– निर्णय की पालना करने बावत।

दावा बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188, 53 R.T.Act.

राजस्व वाद संख्याः **2016/19** निर्णय दिनांक **02.06.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. बालुराम पुत्र रामेश्वरराम उर्फ रामूराम, जाति जाट, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. भागीरथराम पुत्र रामेश्वरराम र्फ रामूराम, जाति जाट, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर वगैरह

उपरौक्त विषयक वर्णित प्रकरण में निर्णय की छाया प्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर इस न्यायालय में भिजवाये, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हों।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner